

**CERTIFICATE PROGRAMME IN HUMAN  
RIGHTS**

**Term-End Examination**

**June, 2010**

01629

**CHR-03 : HUMAN RIGHTS IN EVERYDAY  
LIFE : WHAT CAN WE DO**

*Time : 3 hours*

*Maximum Marks : 100*

- Note : (i) Attempt two questions from Section-I.  
(ii) Attempt four questions from Section-II.  
(iii) Attempt two questions from Section-III.*

**SECTION - I**

*Answer any two of the following questions in about  
500 words each. Each question carries 20 marks : 2x20=40*

1. Describe six consumer rights provided in the Consumer Protection Act. Where can a consumer complain for the redressal of grievances ?
2. In what matters petition can be filed in a family court ? How can such a petition be filed ?
3. Write down the salient features of the 73rd Constitutional Amendment. How does it strengthen the Panchayati Ray system ?
4. Describe the steps initiated by the government for the special care of the aged.

## SECTION - II

Answer *any four* of the following in about 250 words each.

Each question carries 12 marks :

4x12=48

5. What structure has been provided for Primary Health Care in India ?
6. What is meant by wrongful restraint ? What punishment is provided by law for this crime ?
7. Write the essential features of the water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.
8. Write a note on the role of the National Human Rights Commission.
9. How can letters to News Papers be used for promotion and protection of Human Rights ? What points need to be kept in mind while writing such a letter ?
10. What is meant by Rape ? How does the law help a victim of rape ?
11. What compensation can a divorced Muslim woman get from her husband ?
12. Write the salient features of Juvenile Justice Act, 1986.

**SECTION - III**

*Write short notes on any two of the following in about  
100 words each. Each carries 6 marks : 2x6=12*

13. Unlawful Assembly

14. Service as defined by Consumer Protection Act.

15. Sexual Harassment

16. Bonded Labour.

---

## मानवाधिकार में सर्टिफिकेट कार्यक्रम

सत्रांत परीक्षा

जून, 2010

सी.एच.आर.-03 : दैनिक जीवन में

मानवाधिकार : हम क्या कर सकते हैं

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

- नोट : (i) भाग-I से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिये।  
(ii) भाग-II से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिये।  
(iii) भाग-III से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

## भाग - I

निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों (प्रत्येक)

में दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के 20 अंक हैं।

2x20=40

1. उपभोक्ता संरक्षण ऐक्ट में दिये गये उपभोक्ता अधिकारों में से छह का वर्णन करें। अपनी शिकायतों के निवारण के लिये एक उपभोक्ता कहाँ शिकायत दर्ज कर सकता है?
2. एक पारिवारिक कोर्ट में किन मामलों को लेकर पेटिशन दायर किया जा सकता है? ऐसा पेटिशन किस प्रकार से दायर किया जा सकता है?
3. 73 वें संविधानिक संशोधन के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें। यह पंचायती राज व्यवस्था को कैसे मज़बूत करता है?
4. वृद्धों की विशेष देख रेख के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का वर्णन करें।

## भाग - II

निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों  
(प्रत्येक) में दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के 12 अंक हैं।  $4 \times 12 = 48$

5. भारत में प्राथमिक चिकित्सा केयर के लिये क्या ढांचा उपलब्ध है?
6. गलत रोक (wrongful restraint) से आप क्या समझते हैं? इस जुर्म के लिये कानून में क्या दण्ड है?
7. वॉटर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन) एक्ट, 1974 के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें।
8. राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन की भूमिका पर एक लेख लिखें।
9. समाचार पत्रों को चिट्ठियों का मानवाधिकारों के प्रोत्साहन और संरक्षण के लिये किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है? ऐसी चिट्ठी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिये?
10. बलात्कार से आप क्या समझते हैं? बलात्कार पीड़िता की कानून किस प्रकार से सहायता करता है?
11. एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को अपने पति से क्या मुआवजा मिल सकता है?
12. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 1986 के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें।

भाग - III

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लगभग 100 शब्दों (प्रत्येक) में  
संक्षिप्त लेख लिखें। प्रत्येक प्रश्न के 6 अंक हैं।

2x6=12

13. गैर-कानूनी असेम्बली
  14. सेवा उपभोक्ता संरक्षण एक्ट द्वारा परिभाषित
  15. यौन शोषण
  16. बंधुआ श्रम
-